किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 251 ए नम्बर ...14... वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/11/2024	पत्रावली आज प्रशासन गाँवो के संग अभियान कैम्प गोवडी में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित आये। उभय पक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया एवं राजीनामे के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। मौके पर ही गिरदावर हल्का गोवडी को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान को साथ लेकर मौका निरीक्षण कर उभय पक्षों की उपस्थिति में प्रस्तावित रास्ते का राजीनामा अनुसार फर्द मौका रिपोर्ट मय नक्शे के तैयार कर पेश करें। आदेश की पालना में गिरदावर हल्का द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट मय नक्शा के पेश की। उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली व फर्द मौका रिपोर्ट भू०अ० गोवडी, प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा व फर्द मौका रिपोर्ट भू०अ०नि० से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख०नं० 84 रकबा 0.27 हे० अवस्थित ग्राम गोवडी में 12 फुट चौड़ा रास्ता रकबा 0.07 हे० जो नक्शे में [illegible] किया गया है वह राजस्थान [illegible] सहमत है तथा प्रार्थी[illegible] की भूमि की एवज में अपनी खातेदारी भूमि ख०नं० 991 रकबा 0.89 हे० में से 0.07 हे० —लगातार—	(बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 13:52:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

भूमि जो भू०अ० निरीक्षक द्वारा नक्शे में प्रस्तावित की गयी है वह अप्रार्थीगण को देने हेतु सहमत है अतः बक्दे राजीनामा एवं फर्द मौका रिपोर्ट मय नक्शा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज काश्तकारी अधिनियम बक्दे राजीनामा व मुताबिक रिपोर्ट भू०अ०नि० स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट एनेक्चर-1, नक्शा ट्रेस एनेक्चर-2 राजीनामा एनेक्चर-3 आदेश का भाग रहेगा। ग्राम गांवड़ी के भूमि ख०नं० 984 में एनेक्चर-2 अनुसार रकबा 0.07 हे० कि खातेदारी राजस्थान सरकार के हक में दर्ज कर भूमि की किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज किया जावे तथा ग्राम गांवड़ी के भूमि ख०नं० 991 में एनेक्चर-2 अनुसार रकबा 0.07 हे० कि खातेदारी अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 22-11-2024 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प गांवड़ी में उभय पक्षों की उपस्थिति में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 13:52:40 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner